भारत संघ और अन्य

बनाम

लैशराम लिंकोला सिंह उर्फ निकोलाई

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 519)

24 मार्च 2008

(डा॰0 अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

निवारक निरोध- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरोध-बंदी के अभ्यावेदन के निस्तारण में विलम्ब के आधार पर निरोध को चुनौती देने वाली रिट याचिका- उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की- अपील पर, माना गया: प्रकरण के तथ्यों में, उच्च न्यायालय का आदेश पोषणीय नहीं है- भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 (3)।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी के विरूद्ध निरोध का आदेश पारित किया गया था। निरोध की अवधि 12 वर्ष नियत की गई थी। प्रत्यर्थी ने मुख्य रूप से इस आधार पर निरोध आदेश के विरूद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की कि बंदी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के निस्तारण में अस्पष्टीकृत देरी हुई थी। उच्च न्यायालय ने विलम्ब का अभिवाक् स्वीकार करते हुए याचिका मंजूर कर ली।

इस अदालत में अपीलकर्ता राज्य ने तर्क दिया कि अभ्यावेदन के निस्तारण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

न्यायालय ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: प्रकरण के तथ्यों के अनुसार उच्च न्यायालय का आदेश

पोषणीय नहीं है। निरोध के आदेश द्वारा तय की गई निरोध की अवधि समाप्त होने पर निरोध में लेने वाले प्राधिकारी इस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं कि क्या वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रत्यर्थी को हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता है। (पैरा 8) (275- एफ, जी)

सैंथमिलसेल्वी बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य 2006 (5) एस.सी.सी. 676, विनोद क.े चावला बनाम भारत संघ और अन्य 2006 (7) एस.सी.सी. 337 - संदर्भित किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 519/2008

गौवाहटी उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.04.2006, गौहाटी डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) 2005 की संख्या 53

अपीलकर्ताओं के लिए विकास सिंह, ए.एस.जी., आभा आर शर्मा एवं सुषमा सूरी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

डा ॅ0 अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील ने चुनौती गौहाटी उच्च न्यायालय, इंफाल खंडपीठ की डिवीजनल बैंच के निर्णय को दी गई है, जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा संस्थित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (3) सपठित गृह विभाग के आदेश क्रमांक 17(1)/49/80 एच (पीटी) दिनांक 06.09.2005 के साथ पठित' अधिनियम' को संक्षिप्त करें, जिसे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 17(1)/947/2005-एच दिनांक 05.10.2005 और राज्य

सरकार के आदेश संख्या 17(1)/947/2005-एच दिनांक 07.11.2005 द्वारा आदेश से पुष्टि की गई, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, मणिपुर, इम्फाल पश्चिम द्वारा दिनांक 23.09.2005 को पारित निरोध के आदेश पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी। जिसमें निरोध की तारीख से 12 महीने के लिए निरोध की अवधि तय की गई। निरोध के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि बंदी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के निस्तारण में अस्पष्टीकृत विलम्ब हुआ था। उच्च न्यायालय ने अभिवाक् को स्वीकार कर लिया कि अस्पष्ट देरी हुई है।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभ्यावेदन दिनांक 12.10.2005 को दिया गया और केन्द्र सरकार को यह 31.10.2005 को प्राप्त हुआ। केन्द्र ने तुरंत राज्य सरकार को अपनी मदवार टिप्पणीयां देने के लिए लिखा। वह टिप्पणीयां दिनांक 22.11.2005 को प्राप्त हुई। उसके तुरन्त बाद सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद अभ्यावेदन अस्वीकृति का आदेश दिनांक 29.11.2005 को पारित किया गया था जिससे दिनांक 30.11.2005 को बंदी को सूचित करवा दिया गया।

4. यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा, यह दर्शित करने के लिए कि वास्तव में कोई विलम्ब नहीं हुआ है, दिये गये स्पष्टीकरण पर भी विचार नहीं किया। संबंधित पहलू पर मस्तिष्क का प्रयोग किया गया हो, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया गया है।

5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

6. सैंथमिलसेल्वी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य 2006 (5) एस.सी.सी. 676 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः-

इस अभिवाक् पर आते हुए कि अभ्यावेदन के निस्तारण में देरी हुई थी, यह

ध्यान दिया जाना चाहिए कि निरोध का आदेश दिनांक 01.12.2005 का है। अभ्यावेदन दिनांक 11.12.2005 को भेजा गया था जो उत्तरदाताओं को 15.12.2005 को प्राप्त हुआ था। दिनांक 16.12.2005 को विवरण मांगा गया था जो दिनांक 20.12.2005 को प्राप्त हुआ था। पत्रावली दिनांक 21.12.2005 को प्रस्तुत की गई और दिनांक 22.12.2005 को अवर सचिव और उप सचिव द्वारा निस्तारण किया गया। संबंधित मंत्री ने दिनांक 22.12.2005 को आदेश पारित किया और अस्वीकृति का आदेश जो दिनांक 27.12.2005 को पारित किया गया था, दिनांक 28.12.2005 को जेल के अधीक्षक को भेजा गया था, जहां बंदी को निरूद्ध किया गया था, जिससे बंदी को सूचित किया गया था। यह जेल अधिकारियों द्वारा प्राप्त आदेश से बंदी को उसी दिन अवगत करवाया गया जिस दिन आदेश जेल प्राधिकारी ने प्राप्त किया था। ऊपर दर्शाए गए तथ्यात्मक परिदृष्य से पता चलता है कि अभ्यावेदन का अत्यंत शीघ्रता से निस्तारण किया गया था। उचित समय की माप के संबंध में कोई सख्त नियम नहीं हो सकता है और प्रत्येक प्रकरण को उस प्रकरण के तथ्यों पर विचार में लिया जाएगा और यदि किसी प्रकरण के तथ्यों में कोई लापरवाही या कठोर निष्क्रियता या परिहार्य लालफीताशाही नहीं है तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि निवारक निरोध कानून में प्रदान किए गए सीमित, फिर भी महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की प्रभावकारिता, न्यस्त प्राधिकारियों के स्तर पर यांत्रिक दिनचर्या, सुस्त लापरवाही और ठंडी उदासीनता में खो न जाए।

जब प्राधिकारी की ओर से लापरवाही, उदासीनता या टालने योग्य विलम्ब होता है तो निरोध असुरक्षित हो जाता है। हस्तगत प्रकरण ऐसा नहीं है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि रिट याचिका अस्वीकृति का आदेश दिए जाने से पहले ही दिनांक 22.12.2005 को संस्थित की गई थी। ऐसा होने पर बंदी यह आक्षेप नहीं कर सकता

कि राज्य ने स्थिति स्पष्ट नहीं की कि उसके अभ्यावेदन का निस्तारण कैसे किया गया।

7. विनोद के. चावला बनाम भारत संघ और अन्य 2006 (7) एस.सी.सी. 337, यह निम्नानुसार देखा गया थाः-

> "13. उठाए गए विवाद को तथ्यों से अलग किसी भी स्ट्रेटजैकेट फार्मूले से नहीं आंका जा सकता। इसकी जांच प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में की जानी चाहिए, जिसमें निरोध के आधार की मात्रा और सामग्री के आधार के साथ प्रदान किए गए दस्तावेज, विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच, जाँच की प्रकृति, पूछताछ, उठाई गई विभिन्न दलीलों की जांच करने के लिए आवश्यक समय, संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा टिप्पणीयां दर्ज करने में लगने वाला समय, इत्यादि।
>
> 14. एल.एम.एस. उम्मू सलीमा बनाम बी.बी.गुजराल (1981 (3) एस.सी.सी. 317) में यह माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बंदी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा अत्यंत शीघ्रता के साथ विचार किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम खांबरा (1980(2) एस.सी.सी. 275) (एस.सी.सी. पृष्ठ 279 पैरा 5) में देखा गया है "महत्वपूर्ण समय कभी भी सम्पूर्ण या जुनूनी नहीं हो सकता । मदन लाल आनंद बनाम भारत संघ (1990(1) एससीसी 81) में सी.आ.ेएफ.ई.पी. ओ.एस.ए. के अन्तर्गत निरोध में लिए गए बंदी का अभ्यावेदन दिनांक 17.01.1989 को एक महीने से अधिक समय के बाद दिनांक 20.02.1989 को खारिज कर दिया गया था।

एल.एम.एस. उम्मू के संदर्भ के बाद यह माना गया था कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अभ्यावेदन के निस्तारण में विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया था और तद्नुसार, निरोध के आदेश को विलम्ब के आधार पर त्रुटियुक्त नहीं कहा जा सकता है। कमरून्निसा बनाम भारत संघ (1991(1) एस.सी.सी. 128) में बंदी द्वारा 18.12.1989 को दिया गया अभ्यावेदन दिनांक 30.1.1990 को खारिज कर दिया गया था और यह तर्क दिया गया था कि अभ्यावेदन पर विचार करने में अत्यधिक देरी हुई थी। जवाब में दायर जवाबी शपथ पत्र में दिए गए स्पष्टीकरण में कहा गया कि प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणीयों को अग्रेषित करने में काफी समय लिया गया। बंदी की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रायोजक प्राधिकारी के विचार पूरी तरह से अनावश्यक थे और उस प्राधिकारी द्वारा लिए गए समय पर विचार नहीं किया जा सकता था। इस विवाद को इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया और यह देखा गया कि प्रस्ताव शुरू करने वाले प्राधिकारी को परामर्श करना कभी भी अनुचित अभ्यास नहीं कहा जा सकता है। इस पर भी जोर दिया गया कि अभ्यावेदन पर विचार करने में हुए विलम्ब का उचित स्पष्टीकरण लिया गया है या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगा और इसका निर्णय पूर्णतः रिक्त स्थान में नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, बीरेन्द्र कुमार राय बनाम भारत संघ(1993(1)एस.सी.सी. 272) में याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.12.1990 को अपने निरोध के विरूद्ध एक अभ्यावेदन दिया, जिसे केन्द्र सरकार ने एक महीने बाद दिनांक 25.01.1991 को खारिज कर दिया। यह देखा गया कि अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी के

लिए दिया गया स्पष्टीकरण ऐसा नहीं था जिसे अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता या उदासीनता का अनुमान लगाया जा सके और तद्नुसार देरी के आधार पर चुनौती खारिज कर दी गई। इस न्यायालय के बाद के फैसले भी इसी तर्ज पर हैं और हम उन्हें संदर्भित करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि अभ्यावेदन पर विचार करने मंे कोई निष्क्रियता या सुस्ती नहीं होनी चाहिए और जहां इसके लिए उचित स्पष्टीकरण है, अभ्यावेदन के निस्तारण में लगने वाला समय भले ही लंबा हो, लेकिन बंदी के निरंतर निरोध को किसी भी तरह से अवैध नहंी माना जाएगा।

15. हस्तगत प्रकरण में निरोध के आधार 35 पैराग्राफों का एक लंबा विवरण है, जिसके साथ 447 पृष्ठों के 82 दस्तावेज थे। अपीलकर्ता द्वारा दिया गया अभ्यावेदन भी काफी लंबा था। अपीलार्थी द्वारा 24.03.1998 को दिया गया अभ्यावेदन 27.03.1998 को मंत्रालय को प्राप्त हुआ। प्रायोजक प्राधिकारी को टिप्पणीयां 30.03.1998 को मंगाई गई जो 17.04.1998 को प्राप्त हुई। टिप्पणीयां 22.04.1998 (18 और 19 को छुट्टियां होने के कारण) को एडीजी के माध्यम से सचिव (आर) के समक्ष रखी गई। केन्द्र सरकार का निर्णय 29.04.1998 (25 और 26 को अवकाश होने के कारण) लिया गया और सूचित किया गया। इस बीच हिरासत प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन पर भी विचार किया गया और दिनांक 21.04.1998 को इसे खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रायोजक प्राधिकारी की ओर संस्थित अतिरिक्त शपथ पत्र में कहा गया था कि

उन्हें अभ्यावेदन 02.04.1998 को प्राप्त हुआ था और टिप्पणीयां 17.04.1998 को भेज दी गईं थीं। इसी दौरान 4, 5, 8 से 12 अप्रैल तक छुट्टियां थीं और केवल सात कार्य दिवस उपलब्ध थे। फिर 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को छुट्टियां रही, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी स्पष्ट राय है कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने और उसके निस्तारण में लगे पूरे समय को पूरी तरह से समझाया गया है और यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में कोई अत्यधिक विलम्ब या अस्पष्टीकृत विलम्ब किया गया हो। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने में विलम्ब के आधार पर निरोध आदेश को दी गई चुनौती में कोई दम नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है। "

8. उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से पोषणीय नहीं है और अपास्त किया जाता है। निरोध के आदेश द्वारा तय की गई निरोध की अवधि समाप्त होने पर, निरोध में लेने वाले प्राधिकारी इस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं कि क्या वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रत्यर्थी को निरोध में लेने की कोई आवश्यकता है।

9. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

के.के.टी.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनिल पारवानी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।